उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5
संख्या:137/2022/1862जे0(2)/22-5-22-145एचआरसी/2019
लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप (शुद्धि-पत्र)

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के सिद्धदोष बंदी नन्द किशोर पुत्र श्री जगदीश यादव की दिनांक 20.05.2019 को हुई मृत्यु के प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या-14328/24/26/2019-जेसीडी, में दिनांक 01.08.2022 के अनुपालन में शासनादेश संख्या:120/2022/1862जे0/22-5-22-145एचआरसी/2019, 21-09-2022 द्वारा मृतक बंदी के अश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारी को धनराशि रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख मात्र) की अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 21-09-2022 के प्रस्तर 2 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष-2022-2023 के "अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद-42-अन्य व्यय" के स्थान पर टंकण त्रुटि के कारण चालू वित्तीय वर्ष-2022-2023 के "अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 1014-03 समस्त कारागार के मानक मद-42-अन्य व्यय" अंकित हो गया है। अत: इसे "अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद-42-अन्य व्यय" ही पढा जाय।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

रामध्यान रावत
अनु सचिव।

संख्या:137/2022/1862जे0(3)/22-5-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक (विधि), मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 को दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली किये जाने हेतु प्रेषित।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
8- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1
9- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in